



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1674/2009जिला.....कोटा.....

उनवान - सहायक आयुक्त कोटा बनाम मैसर्स जे.के.सीमेण्ट लिमिटेड, कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.05.2017	<p align="center">खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विभाग की ओर से वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त-कोटा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विदग्धा करने का निवेदन किया है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-कोटा के प्रार्थना पत्र के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रत्यर्थी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम-2017 के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिये हस्तगत प्रकरण को विदग्धा करने की अनुमति चाहता है तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण को विदग्धा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी राजस्व का प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण को विदग्धा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील जरिये विदग्धावल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	